संख्या- 8 /2018/88/30-3-18-21बी/2017

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 05 फरवरी 2018

विषय :-वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व पक्ष में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2017-18 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-61ए/2018-154ए/2016, दिनॉक 05-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष-2017-18 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय में मद संख्या-01-वेतन, मद संख्या-03-मंहगाई भत्ता, मद संख्या-06-अन्य भत्ते, मद संख्या-09-विद्युत देय, मद संख्या-15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद तथा मद संख्या-46-कम्प्यूटरीकरण हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान कराये जाने का प्रस्ताव आपके पत्र संख्या-2577ए/2017-154ए/2016, दिनॉक 02-11-2017 के द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

3- आपके उपरिसंदर्भित पत्र के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 148.00 लाख (रू0 एक करोड़ अड़तालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत प्राविधान	जारी धनराशि
लेखाशीर्षक-2235-04-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस में दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	4.00	4.00
लेखाशीर्षक-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

09-विद्युत देय	48.00	48.00
49-चिकित्सा व्यय	96.00	96.00
योग :	**148.00**	**148.00**

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/217/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इसके अतिरिक्त समय-समय पर उनके द्वारा जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(3) धनराशि टुकड़ों में व्यय किये जाने से बचा जाय।

(4) व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)

विशेष सचिव।

संख्या-8/2018/88(1)/30-3-2018, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(विनोद कुमार)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।